28.11.25

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। एंव प्रार्थीगण उक्त प्रकरण मे विपक्षीगण के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहते है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप करमाया जावे। मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया एंव प्रार्थीगण, विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही करना चाहते है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। दिनांक 18.2.25 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रामप्रसाद

सुरेश

एडवोकेट

**उपखण्ड अधिकारी**
**मांडल, जिला-भीलवाड़ा**